संख्या–वे0आ0–2– 1978 /दस–54(एम) 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
खेलकूद विभाग,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 22 नवम्बर, 2011

विषयः वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–5) में खेलकूद विभाग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति द्वारा खेलकूद विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–5) में दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिया गया है :–

(1) विभाग में विद्यमान सामान्य कोटि के पदों पर समिति द्वारा की गयी सामान्य संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जायें।

(2) विभाग के संयुक्त निदेशक के पद पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(3) क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी ग्रेड–1 (वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–) के पदों को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी ग्रेड–2 (वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–) के साथ संविलीन कर पदनाम क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी रखा जाय। भविष्य में उप निदेशक के पदों को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के पदों से पदोन्नति कर भरे जाने का प्राविधान किया जाय।

(4) क्रीड़ा अधिकारी के पदों को तत्काल प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू0 4800 अनुमन्य कराया जाय।

(5) सहायक प्रशिक्षक के उपलब्ध पदों को खेलों की विभिन्न विधाओं यथा–हॉकी, क्रिकेट, एथेलेटिक्स आदि के लिये चिन्हीकरण किया जाय।

(6) जीवन रक्षक के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य ग्रेड वेतन रू0 1900 के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 2000 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।

(7) विभाग के अन्य पदों पर कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखें जायें।

कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव

संख्या–वे0आ0–2– 1978 (1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1।
2– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3– निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।